



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11833

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42376 वर्ष 2025

राजन यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आर्यन श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री पी. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर्यन श्रीवास्तव, आवेदक के अधिवक्ता, और श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 215/2024, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 258-ख के तहत, पुलिस स्टेशन राजतालाब, जिला वाराणसी में जमानत पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहाई के लिए यह दूसरी जमानत याचिका दायर की गई है।/आवेदक की पहली जमानत याचिका/जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 03.09.2025 के आदेश द्वारा अपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 4013/2025 में खारिज कर दिया था।/आवेदक/जमानत याचिका 22.11.2024 से जेल में बंद है।

श्री पी. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता ने आवेदक की ओर से दूसरी जमानत याचिका दायर करते हुए पुरजोर तर्क दिया कि आवेदक मृतक का पुत्र है और इस मामले का सूचनाकर्ता भी है। आवेदक को केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक के पिता को पांच चोटें आई और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण कोमा में उनकी मृत्यु हो गई। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपराध में इस्तेमाल की गई लाठी को आवेदक से बरामद होने का झूठा दावा किया गया है।

श्री पी. सी. श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पर लगाए गए आरोप सीसीटीवी फुटेज पर आधारित हैं। उनका तर्क है कि सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का समय और तिथि एफआईआर में दर्ज जानकारी से मेल नहीं खाते। घटना एफआईआर में 21.11.2024 को शाम लगभग 6:00 बजे घटित बताई गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में तिथि 19.11.2024 और समय 10:58:20 से 10:58:35 के बीच दर्ज है। इस भिन्नता का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जांच गवाहों, अर्थात् राज कुमार यादव, बबलू यादव और भगवान दास यादव के बयानों में कहा गया है कि आवेदक और दीनानाथ यादव ने अपराध किया है। एक अन्य जांच गवाह, राम सरन ने कहा है कि दीनानाथ यादव ने उनके समक्ष आवेदक के साथ अपराध करने की बात स्वीकार की थी। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक और दीनानाथ यादव के खिलाफ 27.12.2024 को पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और आवेदक के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-आरोपी दीनानाथ यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 01.04.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3327/2025 में जमानत दी जा चुकी है और आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

यह भी तर्क दिया गया है कि मुकदमा चल रहा है और गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 1 और 2, जो कि कांस्टेबल कुमार गौरव और आवेदक हैं, की पहले ही जांच हो चुकी है। जांच करने वाले सब इंस्पेक्टर अंकुर कुमार की भी गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 3 के रूप में जांच हो चुकी है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक, जो कि सूचनाकर्ता है, एकमात्र ऐसा प्रत्यक्षदर्शी है जिसकी पहले ही जांच हो चुकी है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आवेदक अन्य गवाहों (जो जांच गवाह, विशेषज्ञ गवाह या पुलिस गवाह हैं) को प्रभावित करेगा। यह भी बताया गया है कि कुल मिलाकर 13 गवाह हैं और मुकदमे के निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। आवेदक मुकदमे में सहयोग करने का वचन देता है, उसके भागने का कोई खतरा नहीं है और जमानत की शर्तों का पालन करने और जमानत पर रिहा होने पर दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन देता है। इसलिए जमानत की प्रार्थना की गई है।

माननीय एजीए ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले (अपराध संख्या) में आरोपी-आवेदक **राजन यादव** को, न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14 जनवरी 2026

पीकेएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।